रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 1983/माघ 28, 1904

No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1983/MAGHA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मन्त्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1983

सा. का. नि. 89(अ) —आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद (आपूर्ति एवं वितरण) आदेश, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश को पेट्रोलियम उत्पाद (आपूर्ति एवं वितरण) संशोधन आदेश, 1983 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

2. पेट्रोलियम उत्पाद (आपूर्ति एवं वितरण) आदेश, 1972 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (2) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

"बशर्ते कि मिट्टी के तेल (अधिकतम निर्धारण मूल्य) आदेश, 1970 की धारा 3क के लागू रहने की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल का वितरण और बिक्री उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार निकाले गये और घोषित मूल्यों पर की जायेगी ।"

[फाइल संख्या क्यू-32013/1/83-वितरण]

के. पद्मनाभय्या, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 1983

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Petroleum Products (Supply and Distribution) Order, 1972, namely :—

1. (1) This Order may be called the Petroleum Products (Supply and Distribution) Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force on the date of its publications in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Products (Supply and Distribution) Order, 1972, in sub-paragraph (2) of paragraph 3, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided also that during the period of operation clause 3-A of Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, kerosene shall be distributed and sold at the prices derived and declared in accordance with the provisions of the said Order.

[F. No. Q-32012/1/83-Dist.]

K. PADMANABHAIAH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983